

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला उमरिया, (मध्यप्रदेश)

ई-मेल deouma-mp@nic.in

कमांक./स्था/ 1618

उमरिया, दिनांक 10-8-2023

// आदेश //

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्त एवं भर्ती नियम 2018 के नियम 5.4.2 (क) के अनुसार कर्मचारी चयन मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा प्राथमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित पात्रता परीक्षा परिणाम के आधार पर दिनांक 26.11.2022 को विज्ञापन जारी किया गया था। जारी विज्ञापन के अनुक्रम में मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) अंतर्गत निम्नानुसार अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक के पद परमें नियुक्त किया जाता है-

2/

SN	NAME & FATHER / HUSBAND NAME	ADDRESS	ROLL NO	CONS. RANK	CATEGORY	SELECTED CATEGORY	POSTING PLACE	DISTRICT
1	TANU SHUKLA F/H Name-ANAND KUMAR SHUKLA	133 NATWA BHADOHI AURAI SANT RAVIDAS NAGAR U. P. 221306	22976967	1917	UR	UR/X/OP	DISE-23150709304 PS DHANWAHI	Umaria
2	ASHWANI RAI F/H Name-DINESH RAI	BELHARKALAN BELHAR KALAN SANT KABIR NAGAR MEHDawal SANT KABIR NAGAR U. P. 272270	22580865	2599	UR	UR/X/OP	DISE-23150713103 MS ATARIYA (Class 1 to 8)	Umaria
3	RAJAT KUMAR GUPTA F/H Name-RAJESH GUPTA	WARD NO. 10 NAUGAVA KUMHARI AMARPATAN SAT M. P. 485778	23112238	2993	UR	UR/X/OP	DISE-23150704402 UMS CHHADAKURD (Class 1 to 8)	Umaria
4	RAJU MAURYA F/H Name-SHRI PATI MAURYA	0 RAMPUR BAHURIYA KA PURA JAUNPUR JAUNPUR U. P. 222204	22885966	3135	UR	UR/X/OP	DISE-23150710201 PS TIKARIYA (Class 1 to 5)	Umaria
5	INDRAJEET TRIPATHI F/H Name-UMESH CHANDRA	0 VILLAGE RAJAJOT POST KHAJURIA BALRAMPUR BALRAMPUR U. P. 271604	23031027	3197	UR	UR/X/OP	DISE-23150701320 PS TAGRATOLA (Class 1 to 5)	Umaria
6	VED PRAKASH BIND F/H Name-CHINTAMANI	000 BABHANPUR KILHAPUR MACHHALI SHAHAR JAUNPUR U. P. 222204	23299041	3510	UR	UR/X/OP	DISE-23150743601 UPS SEVAI (Class 1 to 5)	Umaria
7	DEVENDRA KUMAR GUPTA F/H Name-JAWAHAR LAL GUPTA	27 VILL GANGAPUR KHAS POST ATRAULIA AZAMGARH U. P. 223223	23108773	4023	UR	UR/X/OP	DISE-23150720404 GOVT. HS AMADI Class 1 to 10)	Umaria
8	POOJA MISHRA F/H Name-SHYAM BIHARI MISHRA	WARD NO 6 PANDAV NAGAR SHAHDOL SHAHDOL M. P. 484001	23004777	4370	UR	UR/X/F	DISE-23150703808 PS BAHIRDE (Class 1 to 5)	Umaria
9	RICHA PANDEY F/H Name-RAKESH KU PANDEY	113/2 PATTA GODAM ROAD NEAR JAIPUR CHAURAHA WARD NO 01 BURHAR SHD M. P. 484110	22556376	4439	UR	UR/X/F	DISE-23150912434 UMS MANPUR	Umaria
10	SUJLA PATEL F/H Name-SURESH KUMAR	00 VILLAGE PONDII POST MAND TEH BICHHIYA MDL M. P. 481998	23026679	4637	UR	UR/X/F	DISE-23150715001 PS SHILPARI (Class 1 to 5)	Umaria
11	ANKITA GAUTAM F/H Name-SURESH CHANDRA GAUTAM	107 SINGHPUR ROAD SHIVAJI WARD NO 22 SOHAGPUR SHD M. P. 484001	22772452	4900	UR	UR/X/F	DISE-23150902701 PS DIGHIYA (Class 1 to 5)	Umaria
12	SUSHIL SINGH F/H Name-ROHANI SINGH	WARD NO 08 MANGAL BAZAR KE PASS BADWAHI BADWAHI PALI UMR M. P. 484551	23062365	4918	ST	ST/X/OP	DISE-23150705001 MS KUDARI (Class 1 to 8)	Umaria
13	KUMARI SHILPI F/H Name-SAKAL DEV BHARTI	MQ 1103 KAPILDHARA COLONY WARD NO 07 BIJURI BIJURI KOTMA ANP M. P. 484440	23005797	5016	UR	UR/X/F	DISE-23150703812 HS DHANWAR (Class 1 to 10)	Umaria
14	MADHU TIWARI F/H Name-MAHENDRA KUMAR PANDEY	WARD NO 08 ASHOK MOHALLA NANHWARA KALAN VIJAYRAGHAVGARH KAT M. P. 483775	23245413	5450	UR	UR/X/F	DISE-23150905202 MS DHANWAHI (Class 1 to 8)	Umaria
15	LALBAHADUR PATEL F/H Name-MANGLES	WARD NO 03 VILLAGE TENDUADH POST BARACHH TEHSIL JAISINGHNAGAR SHD M. P. 484774	23026696	7337	OBC	OBC/X/OP	DISE-23150911904 MS BHADARI (Class 1 to 8)	Umaria
16	SUDHEER MISHRA F/H Name-RAMNARESH MISHRA	MAHATMA GANDHI WARD KAUDIYA RODE WORD 11 CHANDIA UMARIA UMR M. P. 484660	22579008	7448	EWS	EWS/X/OP	DISE-23150709006 PS AKHADAR (Class 1 to 5)	Umaria



SN	NAME & FATHER / HUSBAND NAME	ADDRESS	ROLL NO	CONS. RANK	CATEGORY	SELECTED CATEGORY	POSTING PLACE	DISTRICT
17	PARUL PATEL F/H Name- RAM MILAN PATEL	WARD NO 11 GRAM MATIMA NEAR MIDDLE SCHOOL BAIKUNTHPUR SEMARIYA REW M. P. 486441	22598005	7654	OBC	OBC/X/F	DISE-23150708204 GHSS JARHA (Class 1 to 12)	Umaria
18	SHRIYANSH PATEL F/H Name-YOGESH KUMAR PATEL	WAR NO 03 VILLAGE ANJANIYA POST ANJANIYA TAHSIL BICHHIYA MDL M. P. 481998	22559490	8237	OBC	OBC/X/OP	DISE-23150701411 PS AGANHUDI (Class 1 to 5)	Umaria
19	AKHILESH JAISWAL F/H Name-DHALMAN JAISWAL	GRAM BADWAHI POST BAKELI BADWAHI PALI UMR M. P. 484001	22649711	8677	OBC	OBC/X/OP	DISE-23150913006 MS MALA (Class 1 to 8)	Umaria
20	RAVIKANT SHARMA F/H Name-DHANPAT PRASAD SHARMA	WARD NO 12 NEAR ELECTRICITY OFFICE JHIRIYA MOHALLA BIRSINGHPUR PALI UMR M. P. 484551	22698818	8996	EWS	EWS/X/OP	DISE-23150912303 UPS MUDGUDI NO 1 (Class 1 to 5)	Umaria
21	VIMAL KUMAR PANDEY F/H Name-RAM SAJEEVAN PANDEY	WARD NO2 VILL-BADRA POST- BADRA ANUPPUR ANP M. P. 484334	22747350	12402	UR	GF/UR/X/OP	DISE-23150720202 UMS DHANGI (Class 1 to 8)	Umaria
22	VARSHA ADEY F/H Name- HARGOVIND ADEY	WARA NO 09 GRAM LINGA POST LINGA PARASWADA BLG M. P. 481556	23053811	13278	OBC	OBC/X/F	DISE-23150720908 GOVT. HSS MAJMANIKALA (Class 1 to 12)	Umaria
23	MUKESH DAHIYA F/H Name- PHOOL CHAND DAHIYA	3/4 SHAHDOL ROAD MPEB COLONY JAISINGHNAGAR SHD M. P. 484771	23267205	13351	UR	GF/UR/X/OP	DISE-23150909805 UPS BHARMILA (Class 1 to 5)	Umaria
24	PRATIKSHA SONI F/H Name- MITHLESH SONI	H NO 97/1 VILLAGE KACHHARWAR POST BANDHAVGARH UMR M. P. 484661	23037727	13424	OBC	OBC/X/F	DISE-23150721401 PS MARDAR (Class 1 to 5)	Umaria
25	ADITI PATEL F/H Name- SAHADESH PATEL	139 VILL - MAND POST-MAND BICHHIYA MDL M. P. 481995	23028309	14734	UR	GF/UR/X/F	DISE-23150722701 PS KAROUNDA (Class 1 to 5)	Umaria
26	JAGANNATH PRASAD GAUTAM F/H Name-UDESH KUMAR GAUTAM	WARD NO 15 POND POND KOTMA ANP M. P. 484336	23032372	16640	EWS	GF/EWS/X/ OP	DISE-23150712204 GOVT. HS DULAHRI Class 1 to 10)	Umaria
27	BHUPENDRA KUMAR DESHMUKH F/H Name- BHIKAM SINGH DESHMUKH	WARD NO 09 AT BAKAL PO BAKAL TEH BIRSA BLG M. P. 481051	23011233	18514	OBC	GF/OBC/X/O P	DISE-23150916806 HS BASKUTA (Class 1 to 10)	Umaria
28	ANSHU ASATI F/H Name- ASHOK ASATI	123 WARD NO 10 SHIVAJI WARD KHURAI SAG M. P. 470117	23198336	20021	UR	GF/UR/X/F	DISE-23150709301 PS DHANWAHI (Class 1 to 5)	Umaria
29	VED PRAKASH SURYAVANSHI F/H Name-BHAIYA LAL SURYAVANSHI	VILLAGE CHANDIYA POST CHANDIYA TIKURI TOLA WARD NO 02 TEHSIL CHANDIYA UMR M. P. 484660	22955236	24597	SC	SC/X/OP	DISE-23150737901 UPS BHODASA (Class 1 to 5)	Umaria
30	REWA LAL MAHRA F/H Name-NEMDAS MAHRA	HOUSE NO 22, VILLEG DHANOU POST BHAD KOTMA ANP M. P. 484336	22623739	26468	SC	SC/X/OP	DISE-23150708103 MS MAHURI 1 TO 8	Umaria
31	PRATIBHA AWADHIYA F/H Name-PRABHAT KUMAR AWADHIYA	WARD NO 09 BADHAI MOHALLA SHAHPURA SHAHPURA DND M. P. 481990	23029689	29637	OBC	GF/OBC/X/F	DISE-23150715403 UHS DONGAR GAWA Class 1 to 10)	Umaria
32	SANJEEV KUMAR JHARIYA F/H Name-KRISHAN LAL JAHRIYA	H NO 84 VILLAGE JIMRA POST SANGRAMPUR SHAHPURA DND M. P. 481990	22619354	38503	SC	GF/SC/X/OP	DISE-23150711901 PS THUTHWAKUDARI (Class 1 to 5)	Umaria
33	SHIFALI MANESHWAR F/H Name-BHAGAWAT SINGH MANESHWAR	WARD NO 15 NEAR RADHA KRISHNA MANDIR NAINPUR NAINPUR MDL M. P. 481776	22987207	39237	SC	SC/X/F	DISE-23150706001 PS KOHAKA (Class 1 to 5)	Umaria
34	SARASWATI MARAVI F/H Name-HARISHCHANDRA MARAVI	3 DHANVAHI SALWAH GHUGHRI MDL M. P. 481664	22858694	47517	ST	ST/X/F	DISE-23150901202 PS ADIWASI MOHALLA MUDGUDI (Class 1 to 5)	Umaria
35	NEHA BHAGAT F/H Name- GANGA RAM	354 WARD NO 11 HOUSING BOARD COLONY UMARIA BANDHAVGARH UMR M. P. 484661	22818568	109728	ST	ST/X/F	DISE-23150709501 PS GAHIRA TOLA (Class 1 to 5)	Umaria
36	PRIYANKA KOL F/H Name- RAJU KOL	WARD NO 06 VILLAGE DUARI POST KUBRA JAISINGHNAGAR SHD M. P. 484771	23259212	134372	ST	ST/X/F	DISE-23150911208 MS BALHOUD (Class 1 to 8)	Umaria

SN	NAME & FATHER / HUSBAND NAME	ADDRESS	ROLL NO	CONS. RANK	CATEGORY	SELECTED CATEGORY	POSTING PLACE	DISTRICT
37	SHANTE SINGH F/H Name- KAMALBHAN SINGH	01 JHIRIYA POST GORHAI RAMNAGAR SAT M. P. 485881	23111311	166714	ST	ST/X/OP	DISE-23150903304 MS BADCHHAD (Class 1 to 8)	Umaria
38	GARIMA SINGH F/H Name- SUKHRAM SINGH	WARD 01 GRAM KARRI POST KANCHANPUR TEHSIL BANDHAWGARH UMR M. P. 484555	23048380	190556	ST	ST/X/F	DISE-23150712301 PS ASHRAM SAJANIYA (Class 1 to 5)	Umaria
39	BHAGYAVATI SINGH F/H Name-RAM PRASAD	D/O RAM PRASAD SINGH VILL PATEHARA PO MANPUR MANPUR UMR M. P. 484665	23045290	193469	ST	ST/X/F	DISE-23150910602 PS NOUGAVA (Class 1 to 5)	Umaria

3/ उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.-2 (छट्वां वेतनमान 5200-20200 +2400 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल-6 में तत्स्थानी वेतनमान 25300-80500 के न्यूनतम वेतन रुपये 25300/- + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय-समय पर देय हैं, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक-सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिंदु क्र. (ब) के अनुक्रम में राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 के संशोधित नियम 13(राजपत्र दिनांक 24 दिसंबर 2019) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टाइपेंड के रूप में देय होगी। परीक्षा अवधि (3 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उक्त वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

4/ यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परीक्षा पर की जाती है। परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के संशोधित नियम 13 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। परीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। संबंधित चयनित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे विभाग परिवर्तन/ जिला परिवर्तन या पदस्थापना परिवर्तन के संबंध में विभाग के अधिकारियों को किसी भी माध्यम से यथा फोन, व्हाट्सएप, एस.एम. एस, ई-मेल एवं पत्राचार इत्यादि ना करें, ऐसा करने पर संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए नियुक्ति समाप्ति तक की कार्यवाही की जा सकेगी।

5/ संबंधित चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

6/ संबंधित अभ्यर्थी को दिनांक 17.08.2023 तक पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेंगे। अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराया जाएगा, जिसकी सूची निम्नानुसार है:-

- I. नियुक्ति आदेश
- II. 6 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ई-मेल एड्रेस
- III. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी किया हुआ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति का स्थायी प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं मूँछ कानवीनतम प्रमाण पत्र)
- IV. अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा नवीनतम आय प्रमाण पत्र के साथसंलग्न प्रारूप में घोषणा पत्र (परिशिष्ट-1)
- V. मूल निवासी प्रमाण पत्र
- VI. स्थायीनिःशक्तता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र-न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है।)
- VII. अतिथि अनुभव प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर हुई है)
- VIII. शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति (छब्ब) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्यागपत्र की पावती प्रति
- IX. अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- X. प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी स्कोर कार्ड
- XI. संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड (परिशिष्ट-2)

17.08.23

7/ उक्त दस्तावेजों का पुनः परीक्षण कर पात्र पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थल के जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के उपरांत पदस्थापना स्थल पर 10 पदभार ग्रहण करने हेतु मुक्त किया जाएगा। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8/ यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों की राशि जमा करनी होगी।

9/ परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदंडों के अनुसार किया जावेगा।

10/ परिवीक्षा अवधि के संबंध में भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अनाधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति में सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

विशेष टीप:- 1. यदि चरित्र/जाति/निःशक्ता/शैक्षणिक/आय/शपथ पत्र इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

10.08.23

(उमेश कुमार धुर्वे)
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला उमरिया (म.प्र.)

उमरिया, दिनांक 10.08.2023

क्रमांक./स्था./..... /2023/1619

प्रतिलिपि:-

1. माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी के विशेष सहायक, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
4. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर ।
5. आयुक्त लोक शिक्षण, भोपाल मध्यप्रदेश ।
6. कलेक्टर जिला उमरिया, मध्यप्रदेश ।
7. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र ।
8. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, शहडोल संभाग म.प्र. ।
9. संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी, करकेली/मानपुर जिला उमरिया म.प्र. की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पदांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का मूल अभिलेखों से मिलान कर संतुष्ट होने पर ही पदांकित संस्था में पदभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। दस्तावेज सत्यापन अथवा अभ्यर्थी की योग्यता/पात्रता के संबंध में कोई विसंगति पाए जाने पर जिले एवं संचालनालय को तत्काल सूचित कर मार्गदर्शन प्राप्त करें।
10. कोषालय अधिकारी, म.प्र. ।
11. चयनित अभ्यर्थियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तों से सहमत होने की दशा में जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय (म.प्र.) में दिनांक 17.08.2023 तक समस्त मूल दस्तावेज सहित अपनी उपस्थिति दें।

10.08.23

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला उमरिया (म.प्र.)



कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला उमरिया, (मध्यप्रदेश)

ई-मेल deouma-mp@nic.in

क्रमांक./स्था/1620

उमरिया, दिनांक 10.08.23

// आदेश //

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के नियम 5, 4, 4 (क) के अनुसार कर्मचारी चयन मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा प्राथमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित पात्रता परीक्षा परिणाम के आधार पर दिनांक 26.11.2022 को विज्ञापन जारी किया गया था। जारी विज्ञापन के अनुक्रम में मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) अंतर्गत निम्नानुसार अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक के पद पर पैरा क. 11 में अंकित शर्त के साथ निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है—

2/

SN	NAME & FATHER / HUSBAND NAME	ADDRESS	ROLL NO	CONS. RANK	CATEGORY	SELECTED CATEGORY	POSTING PLACE	DISTRICT
1	SANGITA F/H Name- ABHIMANYU	180 2 SHASTRI NAGAR NEAR DURGA MANDIR BAJNAMATH TILWARA JABALPUR JBP M. P. 482003	23000245	34536	EWS	EWS/LH/F	DISE-23150720302 MS CHANDWAR	Umaria

3/ उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.वी.-2 (छट्ठा वेतनमान 5200-20200 +2400 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल-6 में तत्स्थानी वेतनमान 25300-80500 के न्यूनतम वेतन रुपये 25300/- + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय-समय पर देय हैं, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक-सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिंदु क्र. (ब) के अनुक्रम में राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 के संशोधित नियम 13 (राजपत्र दिनांक 24 दिसंबर 2019) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परीक्षा अवधि (3 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उक्त वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

4/ यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परीक्षा पर की जाती है। परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के संशोधित नियम 13 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। परीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। संबंधित चयनित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे विभाग परिवर्तन/ जिला परिवर्तन या पदस्थापना परिवर्तन के संबंध में विभाग के अधिकारियों को किसी भी माध्यम से यथा फोन, व्हाट्सएप, एस.एम.एस, ई-मेल एवं पत्राचार इत्यादि ना करें, ऐसा करने पर संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए नियुक्ति समाप्ति तक की कार्यवाही की जा सकेगी।

5/ संबंधित चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

6/ संबंधित अभ्यर्थी को दिनांक 17.08.2023 तक पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेंगे। अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराया जाएगा, जिसकी सूची निम्नानुसार है:-

- नियुक्ति आदेश
- 6 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ई-मेल एड्रेस
- जाति प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी किया हुआ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातिका स्थायी प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं E.W.S. कानूनीनतमप्रमाण पत्र)
- अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा नवीनतमआय प्रमाण पत्र के साथसंलग्न प्रारूप में घोषणा पत्र(परिशिष्ट-1)
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- स्थायीनिःशक्तता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र-न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायीदिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है।
- अतिथि अनुभव प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर हुई है)
- शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्यागपत्र की पावती प्रति
- अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी स्कोर कार्ड
- संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड (परिशिष्ट-2)

10.08.23



7/ उक्त दस्तावेजों का जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पुनः परीक्षण कर पात्र पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थल के जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के उपरान्त पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करने हेतु मुक्त किया जाएगा। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8/ यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों की राशि जमा करनी होगी।

9/ परीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदंडों के अनुसार किया जावेगा।

10/ परीक्षा अवधि के संबंध में भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अनाधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति में सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

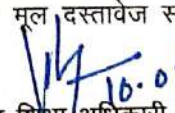
11/ संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि वह जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित समयावधि में उपस्थित होकर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थानीय मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होगा। मेडिकल बोर्ड द्वारा यह प्रमाणित करने पर कि संबंधित अभ्यर्थी 40 प्रतिशत या अधिक स्थायी दिव्यांगता रखता है, उसकी नियुक्ति मान्य कर अंतिम रूप से शाला में कार्यभार ग्रहण करवाया जाएगा अन्यथा यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जाएगा।

विशेष टीप:- 1. यदि चरित्र/जाति/निःशक्तता/शैक्षणिक/आय/शपथ पत्र इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।


(उमेश कुमार घुर्वे)
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला उमरिया (म.प्र.)
उमरिया, दिनांक 10.8.2023

क्रमांक./स्था./..... /2023/1621
प्रतिलिपि:-

1. माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी के विशेष सहायक, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
5. आयुक्त लोक शिक्षण, भोपाल मध्यप्रदेश।
6. कलेक्टर जिला उमरिया, मध्यप्रदेश।
7. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र।
8. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, उमरिया संभाग म.प्र.।
9. संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी, करकली जिला उमरिया म.प्र. की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पदांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का मूल अभिलेखों से मिलान कर संतुष्ट होने पर ही पदांकित संस्था में पदभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। दस्तावेज सत्यापन अथवा अभ्यर्थी की योग्यता /पात्रता के संबंध में कोई विसंगति पाए जाने पर जिले एवं संचालनालय को तत्काल सूचित कर मार्गदर्शन प्राप्त करें।
10. कोषालय अधिकारी, म.प्र.।
11. चयनित अभ्यर्थियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तों से सहमत होने की दशा में जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय (म.प्र.) में दिनांक 17.08.2023 तक समस्त मूल दस्तावेज सहित अपनी उपस्थिति दें।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला उमरिया (म.प्र.)
10.08.23